



FROM GKR TO GRP

आदेश

निम्नलिखित आरक्षी आरमोरर को अनुकम्पा के आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित नियुक्ति जनपद से 03 वर्ष के लिए राजकीय रेलवे पुलिस में तात्कालिक प्रभाव से स्थानान्तरित किया जाता है। आरक्षी आरमोरर की सामान्यतः नियुक्ति 03 वर्ष के लिए की जा रही है तथा आगमन की तिथि से 03 वर्ष की समाप्ति के उपरान्त राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठताक्रम में आरक्षी आरमोरर को पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ द्वारा उनके गहन जनपद वापस किया जायेगा। यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या: एएसपी(ई-1)-(जनरल)-32/2013 दिनांक 29.11.2013 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है:-

क्र० स०	पदनाम	बैज न०	पी०एन०ओ०	कर्मि का नाम	गृह जनपद	नियुक्ति का जनपद
1	आरक्षी आरमोरर	-	922320170	राजेश साही	देवरिया	गोरखपुर

30/11/13

(अजय कुमार सिंह)

पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना

नि० पुलिस उपमहानिरीक्षक, स्थापना

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय, इलाहाबाद-1

संख्या: पांच-1003-2013/14813 दिनांक: नवम्बर, 2013

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, रेलवे उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त आरक्षी आरमोरर, के आगमन की सूचना से सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। आरक्षी आरमोरर को राजकीय रेलवे पुलिस में 03 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर राजकीय रेलवे पुलिस में विद्यमान रिक्तियों के दृष्टिगत आगमन के वरिष्ठता क्रम में उनके गहन जनपद को वापस करने की कृपा करें।
- 2- पुलिस उपमहानिरीक्षक, गोरखपुर परिक्षेत्र को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि वे कृपया आरक्षी आरमोरर को कार्यमुक्त कराने का कष्ट करें।
- 3- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपरोक्त आरक्षी आरमोरर को राजकीय रेलवे पुलिस हेतु कार्यमुक्त कर प्रस्थान की तिथि से पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ सहित सर्वसम्बन्धित को अवगत कराने का कष्ट करें। यदि उपरोक्त आरक्षी आरमोरर अन्यत्र जनपद के लिए स्थानान्तरणाधीन हो तो उसे राजकीय रेलवे पुलिस हेतु ही कार्यमुक्त किया जायेगा तथा राजकीय रेलवे पुलिस का कार्यकाल पूर्ण होने के उपरान्त गहन जनपद में वापस आने पर ही स्थानान्तरित जनपद हेतु कार्यमुक्त किया जाय। साथ ही उक्त संबंध में संबंधित जनपद को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाय।

संख्या तथा दिनांक वही-

प्रतिलिपि-पुलिस महानिरीक्षक, स्थापना उ०प्र० लखनऊ को सादर सूचनार्थ।